B.No. 1509 (Rs. 20/-) No.:

कार्यालय प्रचार्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

अंको का पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता :- ____________________

2. परीक्षा का नाम :- ____________________
3. वर्ष :- ____________________
4. अनुक्रमांक (रोल नं.) :- ____________________
5. पंजीयन/रजिस्ट्रेशन नं. :- ____________________
6. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि :- ____________________
7. मोबाईल नम्बर :- ____________________

स.क्र.	विषय/प्रश्न पत्र जिसकी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन कराना है	मूल प्राप्तांक	रिमार्क

कुल प्रश्न पत्रों की संख्या –

(अंक सूची की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये)

परीक्षा नियमावली में वर्णित शर्तो को स्वीकार करता / करती हूं एवं अनुपालन हेतु वचन देता / देती हूं।

दिनांक / /201 आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग के लिये

कृपया रू. .... स्वीकृत किये जावें।

छात्र लिपिक के हस्ताक्षर

प्राचार्य / परीक्षा नियंत्रक,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

शुक्ल रू. ....

रसीद क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा प्राप्त किया।

लेखापाल

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

वेब साइट :— www.gnscr.ac.in ई.मेलः— principal.npgcsr@gmail.com

No. 2259 Dt. 27/05/23

//पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु नियम //

अ. सामान्य नियमः—

1. यदि अपात्र परीक्षार्थी को किसी भ्रम अथवा त्रुटि से अंकसूची जारी हो जाती है तो उसे महाविद्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
2. अंकसूची प्राप्त होने पर परीक्षार्थी परीक्षण कर ले कि उनका नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, महाविद्यालय का नाम, चयनित विषयों/प्रश्नपत्रों का नाम, अनुक्रमांक, नामांकन/पंजीयन क्रमांक, माध्यम ठीक—ठीक दर्ज है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसका उल्लेख करते हुए 90 दिनों के भीतर महाविद्यालय के स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ को मूल अंकसूची लौटा दे जिससे अभिलेख में सुधार कर सही अंकसूची जारी की जा सके। 90 दिनों के बाद त्रुटि सुधार शुल्क रू. 100/— महाविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

ब. पुनर्गणना/पुनर्मूल्याकंन :—

यदि परीक्षार्थी प्राप्तांकों से संतुष्ट नही हो तो विश्वविद्यालय अध्यादेश कं 6 कंडिका 26(1) के प्रावधानों के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन—पत्र पर पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्याकंन के लिए आवेदन कर सकता है। निर्धारित आवेदन—पत्र महाविद्यालय के छात्र शाखा से प्राप्त किया जा सकता है एवं संपूरित आवेदन—पत्र निर्धारित तिथि तक जमा किए जाएंगे।

स. निर्धारित शुल्कः—

पुनर्गणना प्रति उत्तर—पुस्तिका हेतु	— 100/—
पुनर्मूल्याकंनः एक प्रश्नपत्र की उत्तर—पुस्तिका हेतु	— 400/—
पुनर्मूल्याकंनः दो प्रश्नपत्रों की उत्तर—पुस्तिका हेतु	— 800/—

Govt. N.P.G College of Science Autonomous Exam. Cell RAIPUR

द. पुनर्गणना/पुनर्मूल्याकंन हेतु पात्रता एवं शर्तेः—

1. सभी परीक्षार्थी सैद्धांतिक उत्तर—पुस्तिकाओं के प्राप्ताकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर संकते है।
2. वे परीक्षार्थी जो स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सभी विषयों में सम्मिलित हुए हैं, अधिकतम दो प्रश्न—पत्रों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते आवेदित प्रश्न—पत्र के विषय को छोडकर शेष विषय में प्राप्तांक 33 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
3. वे परीक्षार्थी सेमेस्टर स्नातकोत्तर परीक्षा के सभी प्रश्न—पत्रों में सम्मिलित हुए हैं, केवल पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकेंगे।
4. अपात्र अथवा दो से अधिक प्रश्न—पत्रों में पुनर्मूल्यांकन के लिए किए गए परीक्षार्थी के अवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

5. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांक अर्थात् पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांक ही मान्य होंगे। पूर्व के प्राप्ताकों का लाभ नही दिया जायेगा। तद्अनुसार यदि परीक्षा परिणाम में संशोधन होता है तो उसे भी स्वीकार करना होगा तथा संशोधित परिणाम के अनुसार पुरानी अंकसूची जमा कर संशोधित अंकसूची महाविद्यालय से प्राप्त करनी होगी। परिणाम संशोधन के पश्चात् भी पुरानी अंकसूची का उपयोग अपराध की श्रेणी में माना जावेगा, इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए महाविद्यालय स्वतंत्र होगा।
6. पूरक/ए.टी.के.टी./डिप्लोमा परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऐसे छात्र पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते है।
7. प्रायोगिक परीक्षाओं, क्षेत्र कार्य (Field work) सत्र की जॉच परीक्षा का कार्य (Sessional work test) तथा किसी परीक्षा के प्रश्न–पत्र के स्थान पर प्रस्तुत शोध प्रबंध (Dissertation) के पुनर्मूल्याकंन की अनुमति नहीं है।
8. परीक्षार्थी या उसके प्रतिनिधि को ना तो उत्तर–पुस्तिका दिखायी जायेगी और ना ही उसके समक्ष पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करायी जायेगी।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संबंध में संशोधन अथवा जानकारी, हेतु पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

विशेषः–

पुनर्मूल्यांकन परिणाम के पश्चात् परीक्षार्थी 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करते हेतु प्रति उत्तर–पुस्तिका रू. 300/– शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। छायाप्रति के अवलोकन के बाद यदि पुनर्मूल्याकंन प्राप्तांकों से परीक्षार्थी असंतुष्ट है और उन्हे लगता है कि मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है तो उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रू. 500/– प्रति उत्तर–पुस्तिका पुनर्मूल्याकंन शुल्क महाविद्यालय में जमा करने की रसीद के साथ पुंनः पुनर्मूल्याकंन हेतु प्राचार्य को संबोंधित करते हुए आवेदन कर सकता हे। ऐसे आवेदकों की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पेनल (जो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बाहर के होंगे) से कराया जाएगा। पेनल के द्वारा जो प्राप्तांक दिया जाएगा, उसे अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा, परन्तु इसकी गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार ही होगी।

परीक्षा नियंत्रक
27.05.23

प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
27/5/23

Govt. N.P.G College of Science Autonomous Exam. Cell RAIPUR